भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1964

दिनांक 11.05.2016/21 वैशाख, 1938 (शक) को उत्तर के लिए

मणिपुर में हुई पुलिस गोलाबारी के संबंधं में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा प्राप्त शिकायतें/अभ्यावेदन

1964. श्री विश्वबजीत दैमारी :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को 31 अगस्त, 2015 को मणिपुर विधानसभा द्वारा पारित किए गए तीन जनजातीय विरोधी विधेयकों के विरूद्ध प्रदर्शन में पुलिस द्वारा की गई गोलाबारी में 9 व्यक्तियों की मृत्यु के संबंध में कोई शिकायतें/अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;
(ख) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उक्त शिकायतों/अभ्यावेदनों पर क्या कार्रवाई की है और क्या इस मामले को मणिपुर सरकार के साथ उठाया गया; और
(ग) इस मामले में मणिपुर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और उन्होंने क्या कार्रवाई की है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री किरेन रिजिजू)**

(क) से (ग) : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) को मणिपुर विधानसभा द्वारा तीन विधेयकों के पारित किए जाने का विरोध कर रहे लोगों पर दिनांक 31.8.2015 को सुरक्षा बलों द्वारा की गई गोलीबारी में कथित तौर पर मारे गए 9 लोगों के संबंध में स्वायत जिला परिषद, चुड़ाचांदपुर, मणिपुर के कार्यकारी सदस्यों की ओर से दिनांक 19.10.2015 को एक शिकायत प्राप्त हुई । स्वायत जिला परिषद, चुड़ाचांदपुर, मणिपुर के सदस्यों ने इस घटना की गहन जांच, दोषी कार्मिकों के विरुद्ध कार्रवाई तथा मृतक के परिवार जनों के लिए मुआवजा की मांग करते हुए एनएचआरसी से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की ।

राज्य सभा अता० प्र० सं० 1964

एनएचआरसी ने दो सप्ताह के भीतर इस घटना की वास्तविक रिपोर्ट की मांग करते हुए दिनांक 20.10.2015 को मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक मणिपुर को नोटिस जारी किया ।

एनएचआरसी ने दिनांक 24.2.2016 को प्राप्त रिपोर्टों पर विचार किया और इस मामले में दर्ज किए गए आपराधिक मामलों की जांच की स्थिति तथा मजिस्ट्रेट जांच, यदि इसका आदेश दिया गया हो, की स्थिति से संबंधित रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया । उत्तर प्रतीक्षित है ।

******